

पत्र संख्या E(RRB) 2009/25/21 दिनांक 28-10-2009 के मद-3 के अनुसार जारी करने वाले प्राधिकारी के
लेटर हेड पर जारी किया जाने वाला आय प्रमाण-पत्र का प्रारूप
रेलवे भर्ती की परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की छूट हेतु आय प्रमाण-पत्र

1. उम्मीदवार का नाम :
2. पिता का नाम :
3. आयु :
4. निवास का पता :
5. परिवार की वार्षिक आय (शब्दों में एवं अंकों में) :
6. जारी करने का दिनांक :
7. हस्ताक्षर :

(जारीकर्ता का नाम)

8. जारी करने वाले की मोहर (स्टाम्प)

नोट—आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से अभिप्राय है कि वह उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 50,000/- से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु आय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्न प्राधिकारी अधिकृत हैं।

(1) जिला अधिकारी या अन्य कोई राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के ओहदे का हो। (2) स्वयं के संसदीय क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा का पीठासीन संसद सदस्य (3) बीपीएल कार्ड या मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी एमएसटी (4) केन्द्रीय (यूनियन) मंत्री रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति की संस्तुति कर सकता है। (5) जिले के व्यक्तियों के लिए उस जिले में सामान्यतः रहने वाले राज्य सभा का पीठासीन संसद सदस्य।